न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 32/2019

1 मोहरी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति कुमावत निवासी राणोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 बलराम भाकर पुत्र हनुमान सिंह जाति जाट निवासी ग्राम सुजानपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
2 प्रभाती देवी पत्नी भगवानाराम जाति बलाई निवासी राणोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3 भागीरथमल पुत्र चूनाराम जाति जाट निवासी डोडिया ढ़ाणी मोरडूंगा तहसील धोद जिला सीकर।
4 सांवरमल पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी सुजानपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
5 सांवरमल पुत्र चौथमल जाति यादव निवासी वेद की ढ़ाणी तन राणोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6 झूमा देवी पत्नी सोहनलाल।
7 मोहनी देवी पत्नी रामेश्वर समस्त जाति कुमावत निवासीगण राणोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
8 नायब तहसीलदार पलसाना।
9 तहसीलदार दांतारामगढ़।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं प्राथमिक डिकी न्यायालय सहायक कलेक्टर मु0 सीकर दावा संख्या 84/2017 बउनवानी बलराम बनाम प्रभाती देवी आदि

दिनांक 18.05.2018

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः— 14.09.2021

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 84/2017 में पारित निर्णय दिनांक 18.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्याा 1 द्वारा दिनांक 15.12.2017 को अपीलाधीन वाद संख्या 84/2017 उनवानी बलराम भाकर बनाम प्रभाती देवी आदि बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर मु0 सीकर के समक्ष विरूद्व अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 6 व 8,9 बाबत भूमि खसरा नम्बर 131 वाके ग्राम राणोली प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिकी किया है। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत होने पर नोटिस जारी होने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 व 7 उपस्थित आ गये थे शेष प्रतिवादीगण की तामील में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पत्रावली चल रही थी। दौराने तलबी ही विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना किये बिना पत्रावली लोक अदालत कैम्प सुजावास में रखकर विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया। ऐसा निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत होने पर नोटिस जारी होने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 व 7 उपस्थित आ गये थे शेष प्रतिवादीगण की तामील में पत्रावली चल रही थी। दौराने तलबी ही विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना किये बिना पत्रावली लोक अदालत कैम्प सुजावास में रखकर विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया। ऐसा निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया की पालना कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 14.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर